कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरणट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून

पंत्राक 808 /विकास कार्य/नि0सू0/2023–24 दिनांक 25.10..2023

अति अल्पकालीन ई– निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारो/ फर्मो जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में भी पंजीकृत हो,ऐसे फर्म/ठेकेदार अपनी श्रेणी के अनुसार नीचे वर्णित कुल 01 विकास कार्य को करने हेतु निविदा फार्म/ बिल ऑफ क्वान्टिटी के साथ संलग्नक में अंकित विशिष्टियों हेतु ई–निविदा दिनांक 02.11.2023 को अपरान्ह 2.00 बजे तक uktenders.gov.in की बैबसाईट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते है। प्राप्त ई निविदाओं को निविदा समिति /अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 03.11.2023 को सांय 2.00 बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नही किया जायेगा । आगणन में अकिंत विशिष्टियों की मात्रा पूर्णत अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा

इच्छुक प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मो द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य की धनराशि का पे–आर्डर जो सचिव, एम0डी0डी0ए0 के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ0डी0आर0/ सी0डी0आर0 / एन0एस0सी0 के रूप में होगी, तथा अधिशासी अभियन्ता,म0दे0वि0प्रा0 के नाम बन्धक होगी, को निविदा शर्तो के अनुसार अन्य अभिलेखों के साथ उक्त बैबसाईट में उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन करना होगा तथा इन सभी की मूल प्रति दिनांक 03.11.2023 को अपरान्ह 2.00 बजे तक प्राधिकरण के सम्बन्धित अभियन्त्रण अनुभाग में जमा करनी होगी। निर्धारित समय तक धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 व निविदा मूल्य का ड्राप्ट जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नही किया जायेगा। अन्य शर्ते निविदा प्रपत्र, जी0 पी0 डब्लू0–9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या 1197/II (2)/07–75(सामान्य)/II दिनांक 24–2–2014 एवं अन्य के अनुसार होगी । जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की बैधता 90 दिन मान्य रहेगी।

क्र0	कार्य का नाम	अनु0 लागात (लाख) रू0	निविदा मूल्य (जी0एस0टी0 सहित) रू0	धरोहर राशि रू0	समय (माहो में)
1	पल्टन बाजार में रंगाई पुताई का कार्य (घण्टाघर से पल्टन बाजार होते हुए रेलवे स्टेशन तक)।	57.86	4720.00	1,15,720.00	01

अन्य नियम एवं शर्ते :–

1– निविदा के साथ मूल रूप में एवं ऑन लाईन निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य है:–

(क)– निविदा वैधता के संबंध में रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर एवं रू0 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र।

(ख)– सत्यता और शुद्वता के संबंध में रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर एवं रू0 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र।

(ग)–लिटिगेशन की सूचना के संबंध में रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर एवं रू0 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र।

(घ)– निविदा समिति के निर्णय/नो कलेम के संबंध में रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर एवं रू0 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र।

(ड.)– No Dues के संबंध में रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर एवं रू0 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराइज्ड हसताक्षरित शपथ पत्र।

(च)– उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 770/iii(2)17-20 (सामान्य)2011 टी0सी0 दिनांक 12.06.2017 के अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफोरमेंन्स सिक्योरिटी नियमानुसार जमा करानी होगी।

(छ)– प्राधिकरण को बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार होगा।

अधिशासी अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।

प्रतिलिपि:–

1–सचिव,म0दे0वि0प्राधि0देहरादून ।

2–मुख्य लेखाधिकारी म0दे0वि0प्राधिकरण देहरादून ।

3–अधीक्षण अभियन्ता, म0दे0वि0प्राधिकरण, देहरादून।

4–नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद /सिचाई विभाग के नोटिस बोर्डो पर चस्पा हेतु।

5–नाजिर म0दे0वि0प्राधि0 को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त विज्ञप्ति को दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायेगें ।

6– आई0टी0 अनुभाग को इस आशय से कि विज्ञप्ति को बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

7–प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।

8–सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु ।

अधिशासी अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।